<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122025-268694 CG-DL-E-20122025-268694

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5739]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 20, 2025/अग्रहायण 29, 1947

No. 5739]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 20, 2025/AGRAHAYANA 29, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली. 19 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5936(अ).—भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. संख्यांक 5319(अ), तारीख 21 नवंबर, 2025, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii), में प्रकाशित हुई थी, के पृष्ठ संख्या 1 पर, -

- (क) पंक्ति 9 में, क्रम संख्या 2 की प्रविष्टि के स्थान पर धारा 15, का.आ. 2060(अ), तारीख 3 मई, 2023 के क्रम संख्या (i) पर विनिर्दिष्ट संहिता के उपबंधों के सिवाय पढ़ें;
- (ख) पंक्ति 10 में, क्रम संख्या 3 की प्रविष्टि के स्थान पर धारा 16, का.आ. 2060(अ), तारीख 3 मई, 2023 के क्रम संख्या (ii), (iii) और (iv) पर विनिर्दिष्ट संहिता के उपबंधों के सिवाय पढ़ें;
- (ग) पृष्ठ-2, पंक्ति 2 में, क्रम संख्या 7 की प्रविष्टि के स्थान पर धारा 164 की उप-धारा (1), का.आ. 2060(अ), तारीख 3 मई, 2023 के क्रम संख्या (vi) पर विनिर्दिष्ट संहिता के उपबंधों के सिवाय पढ़ें;

8589 GI/2025 (1)

(घ) पृष्ठ-2, पंक्ति 3 में, क्रम संख्या 8 की प्रविष्टि के स्थान पर, धारा 164 की उप-धारा (2) और (3), का.आ. 2060(अ), तारीख 3 मई, 2023 के क्रम संख्या (vii) पर विनिर्दिष्ट संहिता के उपबंधों के सिवाय पढ़ें।

[फा. सं. आर-11011/04/2021-एसएस.॥]

आश्तोष ए.टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th December, 2025

S.O. 5936(E).— In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment *vide* S.O. No.5319(E), dated the 21st November, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 21st November, 2025, at page No.2,-

- (a) in line 9, for the entry against Sl.No.2, read "section 15, except the provisions of the Code specified at serial number (i) of S.O.2060(E), dated the 3rd May, 2023";
- (b) in line 10, for the entry against Sl. No.3, read "section 16 except the provisions of the Code specified at serial numbers (ii), (iii) and (iv) of S.O.2060(E), dated the 3rd May, 2023";
- (c) in line 14, for the entry against Sl. No.7, read "sub-section (1) of section 164 except the provisions of the Code specified at serial number (vi) of S.O.2060(E), dated the 3rd May, 2023";
- (d) in line 15, for the entry against Sl.No.8, read "sub-sections (2) and (3) of section 164 except the provisions of the Code specified at serial number (vii) of S.O.2060(E), dated the 3rd May, 2023".

[F. No. R-11011/04/2021-SS.II]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.